3/3/16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर मे पेश हुई।
आदेशिका का अवलोकन किया गया। आज दिनांक वकील वादी (सायल) की मजीद बहस सुनी गई। गैरसायलान की ओर से कोई भी उप० नही हुआ। दि० 26.10.15 को प्रा०पत्र T.I. पर इकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है। कैम्प के निर्धारित दिनांक सभी अभिभाषक गणों की जानकारी मे है। श्री संतोष कुमार मुदगल एड. द्वारा मीमो के बाद ता. पेशी दि० 18/3/16 को ना ही वकालतनामा पेश किया, ना ही जवाब पेश हुआ। जवाब के लिए नोर्मस 90 दिवस की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2070-73 खाता सं. 141 खातेदार सायल दर्ज रिकार्ड है। अतः प्राइमा फेसी केस सायल के पक्ष मे है। सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष मे है। अतः प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। दिनांक 22/6/15 को जारी विवादित आराजीयात ख०नं० 510 रकबा 0.11 हे० ग्राम महू इब्राहिमपुर मे अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाता है। मूल दावा के निस्तारण तक गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी पर मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे तथा रहन बय मुंतकिल नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल दावा पत्रावली मे शामिल हो। निर्णय खुली राजस्व लोक अदालत मे सुनाया गया।

[signature]

उप जिला कलेक्टर
हिण्डौन सिटी, जिला करौली

Scanned by CamScanner